

प्रेषक,

राजिरा

धैत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में

प्रबन्धक,

न्यू स्टैंडर्ड प्रिलक
स्कूल सलैंड महाराजगंज
रायबरेली। ---

पत्रांक: मा०शि०प०/मान्यता/इ/1166
६-१०

दिनांक: १२/१०/२०१२

विषय: रायबरेली/हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्थाति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अनुगोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-7क(क) व अन्तर्गत आपकी संस्था न्यू स्टैंडर्ड प्रिलक स्कूल सलैंड महाराजगंज रायबरेली को बालक/बालक विद्यालय के रूप में परिणित की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2014 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतीबन्धों सहित एक साथ(वनटाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा-7क(क) के प्रावधानों के अंधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:-

सामान्य प्रतीबन्ध

- (1) प्रबन्धाधिकरण कक्षा-9 की कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भृत्य, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं अर्थिक सिपति और अन्य प्रतीबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि रो दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परीक्षा को 9वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम् योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने चोरों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण रखाय उत्तरदाती होगा।
- (5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने लोतों से की जायेगी।
- (6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समर्त व्यवन्धाधिकरण द्वारा रखाय वहन किया जायेगा तथा इस निर्गत कोई अनुवान देय नहीं होगा।


PRINCIPAL
New Standard Public School
Salethu, Maharajganj-Rae Bareli


Manager
NEW STANDARD PUBLIC SCHOOL
Salethu, Maharajganj-Rae Bareli

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) सरथा द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विशेषण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निश्चित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित खंसथा के प्रबन्धाधिकरण का होगा।
- (ख) विद्यालय का प्रबन्धाधिकरण प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में वार्षिक अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं को साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगी अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
- (ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएं मान्य एवं संचालित नहीं होंगी।

टिक्की-इस पत्र में अंकित सामरत सामान्य एवं विशेष प्रतिवादों की पूँछ ८(ज) गाह के अन्दर किया जाएगा आवश्यक होगा।

भवदीय,


 क्षेत्रीय सचिव,
 माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
 क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन सं: मा०शि०प० / मान्यता / इ/

दिनांक— 20

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु देखितः—

- 1- जिला विद्यालय निरीक्षक। **रायबरेली**
- 2- संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक। **लखनऊ**
- 3- हाईस्कूल पारीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।
- 4- संचाय, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।


PRINCIPAL
New Standard Public School
 Salethu, Maharajganj-Rae Bareli.

क्षेत्रीय सचिव,
 माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
 क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।


Manager
NEW STANDARD PUBLIC SCHOOL
 Salethu, Maharajganj-Rae Bareli.

रजिस्टर्ड

प्रेषकः

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धकः

-न्सू-स्टैन्डर्ड प्रिलक स्कूल
सलेथु महराजगंज रायबरेली।

पत्रांक: आई०वी०मान्यता / इ/ 1167

दिनांक - 12/10/ 2012

विषय: इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदयः

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-7क(क) के अन्तर्गत आपवै विद्यालय को वालव/वाक्रिका विद्यालय के रूप में परिषद् तो तर्फ-2014 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन) अधिनियम की धारा-7कक के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11 वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षणसामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भावन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति का ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।
- (2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से हो वर्ष के अन्दर ही संखा द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11 वीं कक्षा संचालित वर्गों की विषयतः हिलिंग सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी राय/अनुयाया। इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता रवत रामाप्त समझी जायेगी।
- (3) इस पत्र में उकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनता, प्रायताधारी पात्र व्यविल वो कार्य पर लगाया जाय।
- (4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्यों की नियुक्ति तो जाय। यह प्रतिवन्ध कंचल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर भी प्रभावी होगा।
- (5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षाएं संचालित करने का रामरत व्यवस्था अधिनियम, 1987 की धारा-7कक के समरत प्राविधान यथावत् लागू होने। इस नियमित कोई अनुदान देय नहीं होगा।


PRINCIPAL
New Standard Public School
Salethu, Mahrajganj-Rae Bareli


कृष्ण
Manager
NEW STANDARD PUBLIC SCHOOL
Salethu, Mahrajganj-Rae Bareli

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संरथाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धो प्रस्तुत किये गये दिवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अधवा भिथ्या पाथा जाता है अथवा कोई "तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जाएगी, जिराका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।
- (ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
- (ग) प्रतिभूति राशि ₹ 10,000/- प्रति वर्ष ₹ 5000/-। विद्यालय के नाम जमा व निरीक्षक के पदनाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित करें।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इंटर वैज्ञानिक वर्ग नवीन संघ	हिन्दी	ओंजी, गणित, रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान, तथा जीव विज्ञान।
इंटर वाणिज्य वर्ग नवीन	हिन्दी	विवरण पत्रिका के अनुसार।

टिप्पणी:- उवत्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति ६(छ) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्या: ३०५००० मान्यता / ए /

दिनांक-

20

उपर्युक्त दी प्रतिलिपो निम्नलिखित अधिवासियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक वार्तावाही हेतु
प्रिपतः—

- 1- जिला शिक्षाताय निरीक्षक। रायबरेली
- 2- रामगणीय रायकुता शिक्षा निदेशक लघनऊ
- 3- रामगणीय उप शिक्षा निदेशक। लघनऊ
- 4- इंटरराजीडिएल परीक्षा अनुभाग को अग्निलेख हेतु।
- 5- साचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय।

PRINCIPAL
 New Standard Public School
 Salethu, Maharashtra-Raebareli

क्षेत्रीय सांवेदी,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद।

Manager
 NEW STANDARD PUBLIC SCHOOL
 Raebareli